न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला उदयपुर
प्रकरण संख्या 94/2023 वाद
अनवान सतीश बनाम सरकार
निर्णय 136 LrAct 1956

2023/213

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर
## पीठासीन अधिकारी अवुला सांईकृष्ण, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 94/2023 वाद GCMS No. 2023/213

1. श्री सतीश मीणा पिता स्व. श्री चम्पालाल मीणा
2. सुश्री रागिनी मीणा पिता स्व. श्री चम्पालाल मीणा नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक भाई श्री सतीश मीणा पिता स्व. चम्पालाल मीणा

निवासीयान बोरी कुंआ बस स्टेण्ड टीडी, तहसील गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

विपक्षी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

**उपस्थित :–**

1. श्री प्रदीप कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री कल्पित जैन राजकीय अधिवक्ता विपक्षी

**निर्णय**

दिनांक :30.03.2026

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि उनके स्वामित्व व अधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम बोरीकुंआ पटवार हल्का टीडी, तहसील गिर्वा उदयपुर के खसरा संख्या 1000, 1006, 1009, 1010, 1013, 1015, 1016, 1383, 1384, 1385, 1387, 1390, 1393, 1394, 1395, 1396, 173, 222, 230, 231, 233, 234, 994, 995, 996, 997, 998 कुल किता 27 रकबा 2.1900 है0 भूमि व खसरा संख्या 217, 218, 219, 999 कुल किता 4 कुल रकबा 0.1200 है0 भूमि है। उक्त भूमि में दोनों प्रार्थीगण का 1/80 – 1/80, हिस्सा है व बाकी भूमि में अन्य खातेदारान का स्वामित्व व अधिपत्य होकर उनके नाम पर हक व हिस्सेनुसार जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त भूमि मौरूसी जायदाद होकर प्रार्थीगण को उनके पिता श्री चम्पालाल मीणा पिता मंगला जी मीणा, निवासी बोरीकुंआ की दिनांक 06.08.2007 को मुत्यु हो जाने से विरासत में जरिये नामान्तरकरण से प्राप्त हुई। प्रार्थीगण के पिता श्री चम्पालाल के वारिसान श्रीमती कमला पत्नि, सुभाष पुत्र, श्री सतीश कुमार मीणा पुत्र, सुश्री ममता पुत्र व सुश्री रागिनी पुत्री उक्त सभी वारिसानों का 1/80वां हिस्सा देह है। नामान्तरण में सेवन से प्रार्थी सं0 1 का नाम हितेष व प्रार्थी सं0 2 का नाम राजी दर्ज हो गया व तदनुसार जमाबंदी में भी प्रार्थीगण का नाम गलत रूप से क्रमशः नाम हितेष व रानी दर्ज हो गया है, जबकि सही नाम सतीश कुमार व रानी के बजाय नाम रागिनी अंकित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है चूकि प्रार्थीगण के शिक्षा सम्बन्धित दस्तावेज व पहचान सम्बन्धित दस्तावेजों में नाम सतीश कुमार व रागिनी ही दर्ज है। जिससे निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का नाम हितेष के बजाय सतीश कुमार एवं रानी के बजाय रागिनी रेकॉर्ड में अमल करते हुए नामान्तरण एवं जमाबन्दी में संशोधन का आदेश प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

2023/213

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन सूचित किया गया। तहसीलदार बारापाल से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की जाकर कथन किया गया कि प्रकरण के सम्बन्ध में मौके एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गयां। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार पटवार मण्डल अमरपुरा के राजस्व ग्राम बोरीकुंआ की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या क्रमशः 59, 96, अनुसार खातेदार ना.बा. हितेश पुत्र चम्पा हिस्सा 1/80 जाति मीणा, ना.बा. रानी पुत्री चम्पा हिस्सा 1/80 जाति मीणा सा. देह खातेदार के रूप में दर्ज रेकार्ड हैं। वादी के पिता श्री चम्पा पुत्र मंगला की मृत्यु होने के उपरान्त तत्कालीन पटवारी द्वारा राजस्व ग्राम बोरीकुंआ में नामन्तरण संख्या 192 से विरासत का नामान्तरण दर्ज किया गया जिसमें वादी सतीश का नाम ना.बा. हितेष व वादी रागिनी का नाम ना.बा. रानी के रूप में दर्ज हैं। ग्राम पंचायत अमरपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार सतीश कुमार पुत्र चम्पालाल मीणा मुल रूप से ग्राम बोरीकुंआ तहसील बारापाल के निवासी हैं, जिनका नाम राजस्व रेकार्ड में ना.बा. हितेश के रूप में दर्ज हैं। सतीश कुमार व हितेश दोनों नाम का एक ही व्यक्ति हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट की संलग्न मौका पर्चा में उपस्थित मौतबिरानों अनुसार राजस्व ग्राम बोरीकुंआ के खाता संख्या 59, 96 में दर्ज खातेदार ना. बा. हितेष पुत्र चम्पा का ही वर्तमान में नाम सतीश पुत्र चम्पा हैं। इसी प्रकार पटवारी रिपोर्ट अनुसार वादी रागिनी पुत्री चम्पालाल जिसका नाम राजस्व रेकार्ड में ना.बा. रानी पुत्री चम्पा हिस्सा 1/80 जाति मीणा सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज हैं, वह मौके पर उपस्थित नहीं हुई जो लगभग 15 वर्षो से राजस्व ग्राम बोरीकुंआ में निवासरत नहीं हैं ना ही उसके पहचान सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। अतः वादी रागिनी पुत्री चम्पालाल ग्राम बोरीकुंआ में निवासरत नहीं होने से वादी के बारे में किसी प्रकार की कोई सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में PW1 सतीश मीणा पिता स्व. श्री चम्पालाल मीणा एवं PW2 रागिनी मीणा पिता स्व. श्री चम्पालाल मीणा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। दस्तावेजों को प्रदर्श कराया गया। ब्यान् कराए गए। जिसके उपरांत प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलबद्ध दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन किया गयां। तहसीलदार बारापाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गयां। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार करने का निवेदन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर निर्णित किए जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध्द दस्तावेजों तथा तहसीलदार रिपोर्ट का विस्तृत अवलोकन कर अध्ययन किया गया। वादग्रस्त भूमि मौरूसी जायदाद होकर प्रार्थीगण को उनके पिता श्री चम्पालाल मीणा पिता मंगला जी मीणा, निवासी बोरीकुंआ की दिनांक 06.08.2007 को मुत्यु हो जाने से विरासत में जरिये नामान्तरकरण से प्राप्त हुई। किन्तु

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

नामान्तरण व इसी अनुसार जमाबंदी में सहवन से प्रार्थी सं0 1 का गलत नाम हितेष व प्रार्थी सं0 2 का गलत नाम राजी दर्ज हो गया, जबकि सही नाम सतीश कुमार व रानी के बजाय नाम रागिनी है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वादी के पिता श्री चम्पा पुत्र मंगला की मृत्यु होने के उपरान्त नामन्तरण संख्या 192 से विरासत का नामान्तरण दर्ज किया गया जिसमें वादी सतीश का नाम ना.बा. हितेष व वादी रागिनी का नाम ना.बा. रानी के रूप में दर्ज हैं। रिपोर्ट के साथ संलग्न ग्राम पंचायत अमरपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार सतीश कुमार पुत्र चम्पालाल मीणा मुल रूप से ग्राम बोरीकुंआ तहसील बारापाल के निवासी हैं, जिनका नाम राजस्व रेकार्ड में ना.बा. हितेश के रूप में दर्ज हैं। सतीश कुमार व हितेश दोनों नाम का एक ही व्यक्ति हैं एवम् पटवारी हल्का की रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चा में उपस्थित मौतबिरानों अनुसार राजस्व ग्राम बोरीकुंआ के खाता संख्या 59, 96 में दर्ज खातेदार ना.बा. हितेष पुत्र चम्पा का ही वर्तमान में नाम सतीश पुत्र चम्पा हैं। इसके अलावा प्रार्थी सं0 2 रागिनी पुत्री चम्पालाल द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है। प्रार्थी सं0 2 के सम्बन्ध में वादी द्वारा रागिनी के बयान् कराए गए है, किन्तु दस्तावेजी साक्ष्य कोई प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बोरीकुंआ पटवार हल्का अमरपुरा, तहसील गिर्वा उदयपुर के खाता संख्या 59 के आराजी संख्या 1000, 1006, 1009, 1010, 1013, 1015, 1016, 1383, 1384, 1385, 1387, 1390, 1393, 1394, 1395, 1396, 173, 222, 230, 231, 233, 234, 994, 995, 996, 997, 998 कुल किता 27 रकबा 2.1900 है0 भूमि व खाता संख्या 96 के आराजर संख्या 217, 218, 219, 999 कुल किता 4 कुल रकबा 0.1200 है0 भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का नाम हितेश पुत्र चम्पा के बजाय सतीश कुमार पुत्र चम्पा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार बारापाल तदअनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ए. सांई कृष्ण)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर